

## MANGO NAGAR NIGAM

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ति कर की सूचना।

Memo No.:593106020221072546

Date :02-02-2021

प्रधावी :1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री BHAIRO PRASAD S/O DHANESWAR MAHATO ,  
मोहल्ला CHANDRAWATI NAGAR DIMNA MANGO JAMSHEDPUR JAMSHEDPUR  
EAST SINGHBHUM , 831012  
9934128400

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0090008511000M0 वार्ड सं० 9 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है।  
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	139.17
2.	जल कर	0.00
3.	शीचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	139.17
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		139.17



Bhairo Prasad

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. हर निर्धारण को सूची MANGO NAGAR NIGAM Website, [suda.jharkhand.gov.in](http://suda.jharkhand.gov.in) पर प्रदर्शित है।
2. मध्यमावधि कोडिफाई 11.4 के अंतर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
3. जल संरक्षण की व्यवस्था के लिए वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाएँ।
4. जल संरक्षण के सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
5. यदि जल संरक्षण के लिए सम्पूर्ण भूखंड का भुगतान विनियम बर्थ के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियाजत दी जाएगी।
6. किसी देय यात्रे को निर्दिष्ट समयबद्धि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाना जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
7. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम कर सकती है एवं लक्ष्य गलत पाए जाने पर मध्यमावधि कोडिफाई 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्त्रि (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
8. MANGO NAGAR NIGAM द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरता/दांचो को कोई कानूनी हेरिडियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
9. अगर आपके नये होल्डिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशेष संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE: This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print